न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2020 / 00087 दर्ज तिथिः– 22.07.2020

1. जगदीश प्रसाद पुत्र दीनदयाल
2. प्रहलाद चन्द पुत्र दीनदयाल
   समस्त जातियान स्वामी निवासीयान तुराणा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल आबाद ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. राजू पुत्र रामस्वरूप
2. बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप
3. सुमेश पुत्र रामस्वरूप
   समस्त जाति स्वामी निवासी चौखला की ढाणी तन गांवडी गनेशर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल भगतपुरा तन सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
5. बुद्धी पत्नी नानगराम
6. बबलू पुत्र नानगराम
7. रामकिशोर पुत्र नानगराम
8. लालाराम पुत्र नानगराम
9. ममता पुत्री नानगराम
10. लाली पुत्री नानगराम
11. सुरेश पुत्र नानगराम
    समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी भगतपुरा तन सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री डी0पी0 दीक्षित
प्रतिवादीगण :– अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्ण

निर्णय तिथिः– 04.07.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकास्मा अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 53/0.73 वाके ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 11 असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 35/58 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 11 असल का 23/58 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा—कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—15 नियम—1 का उद्धरण इस प्रकार हैः—

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. Parties not at issue. —Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.

3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 27.02.2023 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा नंबर 53/0.73 वाके ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण का 35/58 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 11 का 23/58 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात् अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः स्थाई निषेधाज्ञा के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी [illegible] नंबर 53 / 0.73 वाके ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी [illegible] मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
जगदीश प्रसाद, प्रहलाद चन्द पुत्रान दीनदयाल सम भाग कौम स्वामी साकिन तुराना तन बानसूर	53/1	0.44 है0	
कुल किता 01 रकबा 0.44 है0			
रामकिशोर, लालाराम, बबलू, सुरेश पिता नानगराम, लाली, ममता पुत्रियान नानगराम, बुद्धी पत्नी नानगराम कौम हरियाणा ब्राह्मण साकिन देह	53/2	0.29 है0	
कुल किता 01 रकबा 0.29 है0			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे—इजलास सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी—अलवर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020 / 00087 दर्ज तिथिः— 22.07.2020

1. जगदीश प्रसाद पुत्र दीनदयाल
2. प्रहलाद चन्द पुत्र दीनदयाल
   समस्त जातियान स्वामी निवासीयान तुराणा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल आबाद ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. राजू पुत्र रामस्वरूप
2. बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप
3. सुमेश पुत्र रामस्वरूप
   समस्त जाति स्वामी निवासी चौखला की ढाणी तन गांवडी गनेशर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल भगतपुरा तन सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
5. बुद्धी पत्नी नानगराम
6. बबलू पुत्र नानगराम
7. रामकिशोर पुत्र नानगराम
8. लालाराम पुत्र नानगराम
9. ममता पुत्री नानगराम
10. लाली पुत्री नानगराम
11. सुरेश पुत्र नानगराम
    समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी भगतपुरा तन सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः— श्री डी0पी0 दीक्षित
प्रतिवादीगण :— अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर नंबर 53/0.73 वाके ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म
जगदीश प्रसाद, प्रहलाद चन्द पुत्रान दीनदयाल सम भाग कौम स्वामी साकिन तुराना तन बानसूर	53/1	0.44 है0	
कुल किता 01 रकबा 0.44 है0			
रामकिशोर, लालाराम, बबलू, सुरेश पिता नानगराम, लाली, ममता पुत्रियान नानगराम, बुद्धी पत्नी नानगराम कौम हरियाणा ब्राह्मण साकिन देह	53/2	0.29 है0	
कुल किता 01 रकबा 0.29 है0			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी नहीं बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे—इजलास सुनायी गयी।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.06 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested